(ii) (a) Annaul Report of the Hindustan Housing Factory Limited New Delhi, for the year 1962-63, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(b) Review by the Government on the working of the above Company. [*Placed in Library, see* No. LT-2178/63].

ANNUAL REPORT OF HINDUSTAN AIRCRAFT LIMITED AND COMMENTS OF AUDITOR GENERAL THEREON

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghuramaiah): I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Hindustan Aircraft Limited, Bangalore for the year 1962-63, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library, see* No. LT-2179/63].

THIRTEENTH REPORT OF UPSC AND MEMORANDUM THEREON

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (English and Hindi Versions) under article 323(1) of the Constitution:—

(i) Thirteenth Report of the Union Public Service Commission for the period of 1st April, 1962 to 31st March, 1963.

(ii) Memorandum explaining the reasons for non-acceptance of the Commission's advice in the case referred to in the above Report. [*Placed in Library, see* No. LT-2180/63].

NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT, AND CENTRAL EXCISES AND SALT ACT.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table:—

(1) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) G.S.R. No. 1859 dated the 7th December, 1963.

(ii) G.S.R. No. 1880 dated the 9th December, 1963. [*Placed in Library, see* No. LT-2181/63].

(2) a copy of Notification No. G.S.R. 1860 dated the 7th December, 1963, making certain further amendments to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, under section 159 of the Custom Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [*Placed in Library, see* No. LT-2182/63].

(3) a copy of the Central Excises (Twenty-ninth Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1843 dated the 30th November, 1963, under section 38 of the Central Excises and Saglt Act, 195. [*Placed in Library, see* No. LT-2183/63].

ANNUAL REPORTS OF AIR-INDIA AND IAC

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under sub-section (2) of section 37 read with sub-section (4) of section 15 of the Air Corporations Act, 1953:—

(1) Annual Report of the Air India along with the Annual

[Shri Mohiuddin]

Accounts for the year 1962-63 and Audit Report thereon.

[*Placed in Library, see* No. LT-2184/63].

(2) Annual Report of the Indian Airlines Corporation along with the Annual Accounts for the year 1962-63 and Audit Report thereon. [*Placed in Library see* No. LT-2185/63].

17.09½ hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

SEVENTH REPORT

Shri Khadilkar (Khed): I beg to present the Seventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

17.09¾ hrs.

STATEMENT re: RECOMMENDATIONS OF THE CENTRAL EXCISE REORGANISATION COMMITTEE AND DECISIONS OF GOVERNMENT THEREON

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): This is a long statement, Sir.

Mr. Speaker: It may be laid on the Table.

Shri B. R. Bhagat: I lay it on the Table of the House. [*Placed in Library see* No. LT-2186/63].

17.10 hrs.

STATEMENT BY A MEMBER

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि विदेश मंत्री ४ दिसम्बर और २६ नवम्बर की गलत बयानियों को सुधारें ।

१. ४ दिसम्बर को श्री मनीराम बागड़ी के प्रश्न पर क्या चीन से अफरीका पहुंचने का हिन्दुस्तान के सिवाये अन्य कोई रास्ता नहीं है, उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने कहा "कोई और रास्ता होगा तो बहुत लम्बा होगा, कोई सीधा रास्ता नहीं होगा । मैं नहीं जानता । शायद सीलोन हो कर जा सकें ।" हिन्दुस्तान के अलावा किसी और रास्ते के बारे में विदेश मंत्री को इतना सन्देह था कि उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते और श्रीलंका मार्ग का संदिग्ध अन्दाजा लगाया । किन्तु इस गलती को अगर नजरअन्दाज भी कर दें तो सीधा रास्ता न होने की और लम्बे रास्ते की गलत बयानी जरूर सुधरनी चाहिये । पीकिंग से काहिरा नैरीबी जाने के लिये दो सीधे रास्ते हैं । एक काशगर-करांची का रास्ता है । दूसरा ताशकन्द हो कर है । दोनों में से किसी भी रास्ते से दो हजार मील से ज्यादा की उड़ान कम हो जाती । काशगर में बड़ा हवाई अड्डा है । और हर हालत में आधुनिक जट हवाई जहाज पीकिंग से करांची बिना कहीं उतरे आसानी से उड़ सकता है ।

यह प्रसंग उठाना बेमतलब होगा कि बी० ओ० ए० सी० अथवा के० एल० एम० के साधारण हवाई जहाज किस रास्ते उड़ा करते हैं । चीनी हमलावर साधारण जहाजों में नहीं उड़ रहे हैं । उन्होंने इन कम्पनियों के विमान विशेष भाड़े से लिये अथवा चार्टर किये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के अनुसार पट्टे पर लिये विमान का विशिष्ट इकरारनामा होता है और उन्हें सदा सूचित रास्तों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है । क्योंकि गलत तथ्यों को सुधारना भर है, इसलिये मुझे मजबूरन मतलब नहीं इस बात से कि चीनी नेताओं ने हिन्दुस्तान के रास्ते क्यों उड़ना चाहा और न इस बात से कि हिन्द की धरती पर हमला करने वालों को हिन्द की वायु का इस्तेमाल क्यों करने दिया गया । मैं आशा करता हूं कि इन असंगत प्रश्नों को न उठाने

दिया जायेगा । वरना मुझे भी इन पर बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

२. उसी तारीख को श्री प्रकाशवीर शास्त्री को जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा "हमारी राय में अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के हिसाब से और नैतिकता के हिसाब से भी हमारा उस लाइन को रोकना ठीक नहीं था जो कि रोजाना चलती हैं ।" इकतरफा अथवा दुतरफा गोलीबन्दी के मेरे प्रश्न का विदेश मंत्री ने जवाब दिया "इस तरह की हवाई जहाज की उड़ान की इजाजत देने पर इस बात का क्या असर हो सकता है ।" नैतिकता राय की चीज है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कायदे तथ्य की । एक गलती विदेश मंत्री ने यह की कि विशेष पट्टे पर लिये गये विमान को रोजाना चलने वाली लाइन से जोड़ दिया । दूसरी गलती विदेश मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय कायदों के बारे में की । एसा एक भी अन्तर्राष्ट्रीय कायदा नहीं है, जो भारत सरकार को चीनियों को वायु रास्ता देने के लिये मजबूर करता हो । इस सन्दर्भ में विदेश मंत्री ने यूत सम्बन्धों का जिक्र किया । न इसका कोई अर्थ है और न युद्ध के एलान होने का । यह सर्व विदित है कि डिफैक्टो यानी अमलो युद्ध डि जूरे याना कानूनी युद्ध है । यह भी सर्व सम्मत है कि एकतरफा गोलीबन्दी को कौन कहे, युद्ध विराम हो जाने के बाद भी, शान्ति नहीं होती, अस्थायी शान्ति तक नहीं होती, और लड़ाई बन्द होने के अलावा सब बातों में बद्ध समरों में युद्ध की स्थिति रहती है ।"

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे आदेश दिया है कि मैं श्री कैनेडी की अन्त्येष्ठि क्रिया के सम्बन्ध में न पढ़ूं । तो इस सम्बन्ध में मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है, जो इस वक्त उठाने दें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस वक्त उसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न किस पर है । जो आपने बोला है क्या उस पर व्यवस्था का प्रश्न है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह जो मेरा अपना बयान है उसकी आप ने परसों मुझको इजाजत दी थी । आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन कर ही अपना हुक्म दें, उस के पहले नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बयान देना चाहा था मैंने जब उसकी इजाजत दी थी देख कर, तो आपने कहा कि वह तो मेरी चिट्ठी थी । मैंने कहा कि आप अपना बयान दे दें । आपने अपना बयान दे दिया मैंने जिस हिस्से की इजाजत दी थी वह आपने पढ़ दिया । मैं दूसरे हिस्से की इजाजत नहीं दे सकता । प्राइम मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं क्या ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं । शायद आप भूल रहे होंगे कि १७ तारीख की कार्य सूची में इसको शामिल किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा सवाल उठाना चाहते हैं कि चूंकि कार्य सूची में रखा गया था इस वास्ते आपको हक हो गया, तो वह आप किसी और वक्त उठाइये । इस वक्त जितना मैंने आपको पढ़ने की इजाजत दी थी, वह पढ़ा गया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आखिरी पैरा है जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता । अगर आप मुझे इजाजत दें तो शायद मैं कोई रास्ता निकाल लेता जिससे कि यह मामला हल हो । विदेश मंत्री भी ठीक .....

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जिसका चीनियों के साथ सम्बन्ध है उसे मैं पढ़ दूं । आखिरी पैरा जो है उसका सम्बन्ध कैनेडी से नहीं है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : जितना बयान मेरे पास आया था उतना आपने पढ़ दिया । आगे नहीं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आखिरी पैरा आप देख लीजिये । आखिर हम सब लोग अपनी समझ के अनुसार लोक सभा की सेवा करते हैं । (*Interruptions*). सवाल यह है कि अपनी समझ के अनुसार . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : आपको मैंने जो कैनेडी के सम्बन्ध में था उसकी इजाजत नहीं दी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां, आखिरी मैं पढ़े देता हूं ।

> "मैं विदेश नीति अथवा भावना और आदर्श के प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, न सच्चे न खोखले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तथ्य सुधार के संदर्भ में विदेश मंत्री को असंगत बातें कहने का मौका न मिले ।"

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैंने बगौर सुना जो डा० लोहिया ने कहा और उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की जो मैंने उस वक्त कहा था श्री प्रकाशवीर के जवाब में, वह गलत था । मेरी राय में अब तक वह बिल्कुल सही है और मैं अब भी फिर कहने को तैयार हूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि क्या गलती थी, बावजूद उनको सुनने के । मैंने यह कहा था उनसे कि अगर जिस जहाज पर चीन के प्रधान मंत्री जा रहे थे उसे हम यहां से न जाने देते तो उनको ज्यादा चक्कर लगा कर जाना पड़ता । एक सर्कूटस रूट मैंने कहा था । मुझे मालूम नहीं है कि वह और क्या होता । शायद उन को लंका हो कर जाना पड़ता । यह मैंने कहा था और यह बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती किसी को । उन्होंने बतलाया कि वह तासकन्द हो कर जाते या कहीं और हो कर जाते इधर उधर से । ताशकन्द कोई रास्ता नहीं है हवाई जहाज का, सिवाय इसके कि खास हवाई जहाज कभी जायें तो और बात है । लेकिन आम तौर से जाते नहीं हैं नये रास्तों पर, जो मालूम न हों । काफी मुश्किल है ताशकन्द की रूट । पहाड़ों के ऊपर से है । अगर जाना ही हो तो हलके हलके उस पर उड़ान करते हैं क्योंकि वहां कोई फेसिलिटीज़ नहीं, कोई आराम नहीं इत्तला वगैरह की उन्हें । इसलिये वह रास्ता नहीं था । लेकिन मैं ने इस का हिसाब नहीं लगाया था कि वह ताशकन्द हो कर जायें । सीधी बात है कि उन्हें चक्कर लगा कर जाना पड़ता । . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि गलत बयानी फिर हो रही है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता । आप रोज देखते हैं कि जब एक मेम्बर क्वेश्चन करे कि बयान ठीक नहीं दिया गया तो मैं उस को अवसर दे सकता हूं कि वह अपना बयान दे दे और दूसरा बयान भी हो जाये । दोनों बयान ऊपर आ जाते हैं । इस के सिवाये और कुछ नहीं हो सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे बीस दिन लगे इस सवाल को बनाने में ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी राय यह है कि जो कुछ मैं ने कहा था वह बिल्कुल सही था । आप भी समझेंगे कि उस में कोई गलत बयानी नहीं थी कि चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा । जैसे एक चिड़िया उड़ कर जाती है वैसे हवाई जहाज नहीं जाता । कुछ और भी बातें देखनी होती हैं कि किधर जा सकता है या उतरने की जगह है या नहीं, क्या उसे इत्तला मिलती है, वगैरह । जैसा उन्होंने कहा उधर से जा सकते थे, उत्तर से हिन्दुस्तान के, उस में पचासों दिक्कतें होतीं । अलावा इस के बी० ओ० ए० सी० वहां कभी गया नहीं है, आज तक मेरी इल्म में वह कभी वहां उड़ा नहीं है । बी० ओ० ए० सी० और के० एल० एम०, दोनों वहां नहीं गये हैं । वहां जाना मुश्किल था । मैं ने आम बातें कहीं थीं कि चक्कर लगा कर जाना पड़ता । वह चाहे पूरा चक्कर न होता, सीधा होता, फिर भी चक्कर ही होगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ रास्ते के बारे में पूछ रहा हूं कि वह रास्ता छोटा होता या बड़ा ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह सवाल नहीं कर सकते ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अर्ज किया कि मैं नहीं जानता, शायद नक्शे से छोटा हो, लेकिन नक्शे से छोटा होने की वजह से हवाई जहाज वहां नहीं उड़ रहे हैं . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : उड़ रहे हैं और उड़ सकते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कराची से ताशकन्द को उड़ते हैं, लेकिन न तो बी० ओ० ए० सी० और न एल० एम० के जहाज वहां गये हैं । (*(Interruptions.)*) मेरी अर्ज यह है कि यह जो माननीय सदस्य डा० लोहिया ने ऐतराज किया है इस में कोई असलियत नहीं है सिवा इसके कि नक्शे से उन्होंने नाप लिया हो । मैं ने कहा कि वह बिल्कुल सही बात थी जहां तक मुझे इल्म था । मैं ने नक्शे से तो नहीं नापा, शायद नक्शे से बिल्कुल सीधा हो । लेकिन हवाई जहाज सीधे नहीं उड़ते हैं । जो हवाई जहाज उन्होंने लिया था वह सीलोन हो कर या इधर उधर हो कर जा सकता था ।

दूसरी बात उन्होंने गोला बन्दी या सीज-फायर के बारे में कही कि वह इकतरफा हुई दो तरफा नहीं हुई । यह बात सही है कि हमने अभी तक जाब्ते से चीन के खिलाफ लड़ाई का ऐलान नहीं किया है । हमारे यहां उनकी एम्बैसी खुली है और उनके यहां हमारी एम्बैसी खुली है । यह गलत है या सही यह सवाल नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिना ऐलान के भी युद्ध होता है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि बिना ऐलान के भी युद्ध होता है या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, होता है । लेकिन इस वक्त तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ है । और ऐसे मौके पर हम इस बुनियाद पर कि साल भर हुआ उन्होंने युद्ध किया था, उनको न जाने देते, यह मेरी समझ में नहीं आया ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि बी० ओ० ए० सी० का इधर जाना यह मामूली बात है ।

हम आम तौर से उसे नहीं रोक सकते । यह जरूर था कि हम उन से यह कहते कि उतर जायें कहीं हिन्दुस्तान की जमीन पर, चीन के प्राइम मिनिस्टर को ले कर उतर जायें । यह हमारा कायदा है, लेकिन जब कोई खास आदमी होता है तो यह कायदा अमल में नहीं लाया जाता, और हम इसरार नहीं करते । चुनांचे हमने इसरार नहीं किया और . .

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री को मालम होना चाहिए कि साधारण हवाई जहाजों के नियम ग्रौर होते हैं ग्रौर चार्टर्ड हवाई जहजों के नियम ग्रौर होते हैं ।

17.23 hrs.

RE: ALLEGED BREACH OF PRIVILEGE

Shri Daji (Indore): Mr. Speaker, Sir, I seek your leave to move this matter with no joy and regret but with the sense of duty for maintaining the dignity of the House. The Calling Attention Notice regarding the U.S. 7th Fleet extending its operations into the Indian Ocean was raised in this House by certain hon. Member as early as 12th or 13th of this month. No date was fixed for some days and then the hon. Speaker fixed 19th as the date when this notice could be replied to.

Sir, you will recall that some hon. Members raised this matter on the 17th morning at about 12 o'clock and then in the presence of the hon. Prime Minister you mentioned that it was the right of the Government to take some time to reply to certain notices if they so chose and to the knowledge and the information of the hon. Prime Minister you informed the House that the matter will come up on the 19th. Regrethably, even after this was known to the hon. Prime Minister that the matter was put on the Order Paper for the 19th, only a few hours after this matter was raised in this House, the hon. Prime Minister chose to make a statement on the same subject outside to reporters and in other places which has come in the papers. This conduct, I submit, constitutes a breach of privilege of the House. Apart from the accepted breaches of the House, there are others also, as for example, commented upon by May in his treatise at p. 120:

> "Other acts besides words spoken or writings published reflecting upon either House or its proceedings which, though they do not tend directly to obstruct or impede either House in the performance of its functions, yet have a tendency to produce this result indirectly by bringing such House into odium, contempt or ridicule or by lowering its authority may constitute contempts."

I submit respectfully and humbly that this action of the hon. Prime Minister in not replying to the same question on the 17th and choosing others forum outside—the forum of the other House—within a couple of hours of our raising the matter on the 17th has held this entire House to ridicule and contempt, not only of the nation, but of the whole world because it was a matter of the international implications. We have been made to look like a House which has a secondary importance, which is a second-rate House, whose Members can raise the matter and wait till the 19th, whereas outside the Ministers go on making important statements.

You, Sir, and your predecessors have repeatedly ruled that even in the matter of *suo motu* statements of policy or *sou motu* announcements, when the House is in session, the convention requires that the first announcement should be made in this House. In this particular matter, because it was a *suo motu* announcement, those observations will apply all the more forcibly because here was a notice accepted and communicated to the Government and to the Government's own knowledge fixed for the 19th for reply to the House. It is not only a question of convention. It is a question of the privilege of the House. Once the matter has been placed on the agenda to the knowledge of the Government and the knowledge of the Members, then the matters connected with that should be dealt with only in the House and not outside. Therefore, I submit, this action, actually speaking, has ridiculed